

कार्यालय ग्राम पंचायत-

विकास खण्ड सांदर्भ

जनपद-

प्राप्ति

बैरबौ

गांधीपुर

दिनांक

विषय:- जल जीवन मिशन (हुर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की उन्नी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

प्राप्ति

अवगत कराना ह कि दिनांक 21/6/23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत ने नियार करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक ने ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पार्थमिक/जूहाइस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, औंगनयार्डी कार्यकर्ता/सहायियों, कोटदार, ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उगत बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप लाइन योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के ग्रन्थिया द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के कियान्नयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

अल: अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्यालयी कराने का काट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

भवदारा

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)



अनुमोदित

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संदर्भी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: ०१/०७/२३

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: २१/६/२३

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: बालौंगी

ग्राम पंचायत का नाम: बालौंगी

ब्लॉक का नाम: २४१२११

ज़िला का नाम: गढ़ीकर्णी

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मवेशी कुंडों को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् घन्टे निर्धारित गुणवत्ता • वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 24. तक 31/ यामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनात्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का 10 %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति):

समिति को क्या कहा जाता है: पंचायत संघरक्षण आमित

अध्यक्ष का नाम: आमित पाल

लिंग: महिला

आयु: ५२



*M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)*

III. सामान्य विवरण

6.

2011 का वर्तमान अनुमान	9330.01
प्रत्यापान की संख्या	414
प्रत्यापान की संख्या	1166
प्रत्यापान की संख्या	1600
वर्तमान अनुमान	1244


वर्तमान प्रबंधन वर्तमान वर्तमान वर्तमान वर्तमान	414
प्रत्यापान की संख्या	1166
प्रत्यापान की संख्या	1600
प्रत्यापान की संख्या	1244

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): **42.2** किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): **33.66** किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मधेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): **500**

9. कृषि फसल पैटर्न: _____

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): **130 से 145**11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): **अमरुल**

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) **हाँ**

(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) **हाँ**

(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

क्र. सं.	आवंतिका संख्या का चाहे	न्या एक एवं दो से उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	न्या वर्षा जल संचयन उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	साउदा निष्ठा की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1.	समतल			
2.	ओगनवाडी			
3.	उमराला भूमि			
4.	ग्राम पंचायत भूमि			
5.	भूमि			

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 42 के.एल.डी.

मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 32.11 के.एल.डी.

मवेशी कुड़ों की आवश्यक संख्या: 4

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 60.46 के.एल.डी.

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 73 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता को सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेत गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। नहीं

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त नहीं

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: पहुंच, हैमा, मलेरिया, पीपीया,
पानी की गुणवत्ता

20. फ़िल्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: _____

21. सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

सापेद	संरक्षण	परिणाम
गट्टी	प्रथम तुलना	
प्रीच	प्रथम तुलना	
पाणी ज्वरणता	द्वितीय तुलना	
पाणी नारोगिता	द्वितीय तुलना	
वर्षायाम	द्वितीय तुलना	
भारतीय	द्वितीय तुलना	
पानी	द्वितीय तुलना	
पायोट्रॉफ चलारिन	द्वितीय तुलना	
आमरा	द्वितीय तुलना	
गाइल्टर	द्वितीय तुलना	
पलोराइट	द्वितीय तुलना	
आर्सेनिक (हाटस्पॉट में)	द्वितीय तुलना	

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

अवस्थिति का नाम	स्रोत की संख्या	साथाली

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)

सही

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: ग्रामीण मरम्मत
गंदले जल का प्रबंधन26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): ५३ के.एल.डी.अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 11उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 7आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 6क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): हाँयदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: मुझे नहीं

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम और तक पहुँच के तिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: तालाब तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन केआधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: जल पीपल भूमिइस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: ग्राम पंचायत शाश्वत निर्धारित भूमिवह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: 2024योजना की लागत: 2000 लाख भारत सरकार का हिस्सा: X राज्य का हिस्सा: Xसमुदाय का हिस्सा: 10%, व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: V व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क: कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारितपी.डब्ल्यू.एस.:

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

प्रोजेक्ट का नाम	कार्यकार्य	प्रभावित गांवों पर्यावारी	प्रस्तावित निधि
ग्राम पंचायत विभाग	पर्यावरण विभाग	वाटर शुल्क विकास	वाटर शुल्क विकास
मिशन - ग्रामपाल	पर्यावरण विभाग	जल शावृत मंडली	पर्यावरण विभाग
(एस.वी.एस.)			
प्रयोक्ता शुल्क	प्रयोक्ता शुल्क	प्रयोक्ता शुल्क	प्रयोक्ता शुल्क



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्जीवन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारी की मरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारी का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एकीफर्से से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	बनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, वाटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पैदल सापूत्रि का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांखियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्ग्राम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतर्ग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्ग्राम अवसंरचना	
दनंदाता/भायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: अंजु भाट्या

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: सुशमा राम भाट्या
आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): सुशमा राम भाट्या

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्षः
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबरः

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबरः

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबरः

1. श्रीमती देवी = ९८६५५४५२०४७
2. श्रीमती देवी = ९६२८२२८२११
3. उषा - ९४४९४३३१२६।
4. श्रीमती राजू देवी =
5. भृंगु देवी = ९४३४९९२२९५

पप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबरः



M.P. Singh
 (Director)
 Sushma Foundation
 Varanasi(U.P.)

ग्राम पिलास अधिकारी/सचिव
 ग्राम पंचायत-.....
 लिखा-सादात, गाजीपुर